न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(अरूण कुमार हसीजा, आई0ए0एस0, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

पंचायत रिवीजन संख्याः 12/2021

दायर दिनांकः 13.01.2021

निर्णय दिनांक 06.01.2026

—: अनवान :—

श्रीमती डाली पत्नि हिरालाल खटीक आयु वयस्क निवासी कोठारिया तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द

— निगराकार

बनाम

1. श्री मदनलाल पिता चम्पालाल जी खटीक आयु वयस्क निवासी पावटी रोड श्रीनाथ कॉलोनी बी नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
2. श्रीमति लीला देवी पत्नि उदय लाल जी खटीक आयु वयस्क निवासी कोठारिया तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
3. ग्राम पंचायत कोठारिया तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द

— गैर निगराकारगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम ग्राम पंचायत कोठारिया द्वारा पट्टा दिनांक 12.01.1975 के विरूद्ध निगरानी

उपस्थित :—

1. श्री श्याम सुन्दर पालीवाल, अधिवक्ता प्रार्थी/निगराकार
2. श्री गजेन्द्र टांक, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 अनुपस्थित (एकपक्षीय कार्यवाही)
3. अप्रार्थी/गैर निगराकारगण संख्या 1 व 3 अनुपस्थित (एकपक्षीय कार्यवाही)

:: निर्णय ::

प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि निगराकार ने निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम ग्राम पंचायत कोठारिया द्वारा पट्टा दिनांक 12.01.1975 से व्यथित होकर निगरानी याचिका प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीया के आधिपत्य उपयोग उपभोग का आवासीय भूखण्ड मय मकान ग्राम कोठारिया के मोहल्ला नाडे के सामने रंगुडिया बावजी रोड पर स्थित है, उक्त सम्पति राजस्व ग्राम कोठारिया के खसरा संख्या 1254/511 में स्थित है जिसका

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

नाप 60 गुणा 55 फिट का होकर पडौस निम्प प्रकार है – पूर्व– देवीलाल खटीक का मकान, पश्चिम – आम रास्ता, उत्तर – प्यार चन्द खटीक का मकान, दक्षिण – जगदीश जी खटीक का मकान। उक्त सम्पति पर प्रार्थिया का वर्षो से आधिपत्य होकर इस पर राज्य सरकार की योजना के अन्तर्गत इन्दिरा आवास योजना के तहत प्रार्थीया को सरकारी अनुदान से मकान बनाने हेतु स्वीकृत हुआ और स्वीकृत अनुदान से प्रार्थीया ने मकान बनाया। वर्ष 2014 में विपक्षीगण अवैध रूप से प्रार्थीया के भूखण्ड के 18 गुणा 60 फिट का भूखण्ड हडपने के आशय से ग्राम पंचायत का कुटरचित मिथ्या अनापति प्रमाण पत्र लगाकर विपक्षी संख्या एक के द्वारा विपक्षी संख्या दो के पक्ष में फर्जी रूप से अवैध व शुन्य विकय पत्र निष्पादित करा पंजीयन कराया। इसकी जानकारी होने पर प्रार्थीया ने इनके विरूद्ध पुलिस में भी रिपोर्ट दी परन्तु विपक्षी संख्या एक व दो ने अपने प्रभाव एवं पैसो की ताकत से कार्यवाही नही होने देते तथा अवैध व शुन्य विक्रय पत्र को आधार बना प्रार्थीया की खोदी हुई नीवों को भरने का प्रयास करने लगे, तथा उक्त अवैध दस्तावेज की आड में जबरन कब्जा करने को आमादा हुए। विपक्षी संख्या एक व दो की नाजायज हरकतो के कारण प्रार्थीया ने न्यायालय सिविल न्यायाधीश नाथद्वारा में अपनी सम्पति की सुरक्षार्थ स्थायी निषेधाज्ञा का वाद डाली बनाम लीलादेवी व अन्य मु0 न0 111/2014 ई0 दी0 प्रस्तुत किया जो जैर पेण्डिंग है साथ ही अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो स्वीकार हुआ और आदेश पारित हुआ कि विपक्षी संख्या 1 व 2 प्रार्थीया के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा न पहुंचावे का आदेश दिनांक 18.12.2016 को प्रदान किया। विपक्षी संख्या एक व दो ऐनकेन प्रकारेण प्रार्थीया के भूखण्ड की भूमि को हडपना चाहते है तथा इसी आशय से प्रार्थीया के मकान व भूखण्ड की सम्पति को अवैध व शुन्य पट्टा चम्पालाल जी के नाम से ग्राम पंचायत कोठारिया द्वारा जारी करने एवं विपक्षी संख्या एक के चम्पालाल जी पिता होने के आधार पर हक अधिकार जमाने की धमकिया देने लगे तथा चम्पालाल जी के नाम के पट्टे की फोटो प्रति दी। प्रार्थी ने अपने पति के जरिये ग्राम पंचायत कोठारिया एवं सभी जगह उक्त पट्टे जारी करने एवं पत्रावली की जानकारी एवं नकले लेने की कार्यवाही की तो ग्राम पंचायत कोठारिया द्वारा इस सम्बन्ध में कोई रिकॉर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नही होने की जानकारी दी। विपक्षी संख्या एक व दो ने अवैध व फर्जी रूप से मिलीभगत से अवैध व शुन्य पट्टे बनवाया तथा उक्त अवैध पट्टे के आधार प्रार्थीया की भूमि को हडपना चाहते है, उक्त अवैध पट्टे के आस्तित्व में रहने से प्रार्थीया के हक अधिकारो पर संकट के बादल छाये रहेंगें इस कारण प्रार्थीया यह निगरानी याचिका प्रस्तुत कर रही है। तथाकथित पट्टा की फोटो प्रति देखने से निशुल्क आवासीय आवंटन प्रपत्र है, उक्त तथाकथित पट्टे में आवंटन अधिकारी, किस पद हैसियत का अधिकारी है, का अंकन नही है, न ही कोई सील मोहर है। उक्त भुखण्ड कितना फिट लम्बा चौडा है उसका अंकन भी नही है। प्रथम दृष्टया ही उक्त पट्टा फर्जी रूप से बनाया हैं। चम्पालाल जी के गांव कोठारिया में अलग से मकान स्थित है, वह

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

इस तरह के पट्टे की पात्रता के अधिकारी ही नही थे, तथाकथित पट्टा अवैध होकर विधितः शुन्य है। तथाकथित पट्टे की ग्राम पंचायत में जानकारी करने पर इस प्रकार का कोई पट्टा जारी होना या पत्रावली नही होने की जानकारी ग्राम पंचायत ने दी। विपक्षीगण संख्या 1 व 2 ने प्रार्थी के आधिपत्य की सम्पति को हडपने के आशय से विपक्षी संख्या 3 से अथवा फर्जी रूप से तथाकथित पट्टा बनवाया है। तथाकथित पट्टे पर कोई पट्टा नम्बर, पत्रावली नम्बर अंकित नही है। तथाकथित पट्टे की शर्त अनुसार उक्त तथाकथित पट्टे की आवंटित भूमि को हस्तान्तरण का कोई अधिकार नही होने का उल्लेख विपक्षी संख्या एक व दो प्रार्थी की भुमि पर विपक्षी संख्या एक द्वारा अवैध विकय पत्र से भूमि विपक्षी संख्या दो को करना कहता है। पट्टे की शर्त अनुसार भी विपक्षी संख्या एक को विपक्षी संख्या दो को भूमि विक्रय करने का अधिकार नही था, अवैध रूप से विधि विरूद्ध जो विकय पत्र निष्पादित हुए वह अवैध व शुन्य है। अतः निवेदन हैं कि निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत कोठारिया द्वारा जारी पट्टा दिनांक 12.01.1975 को निरस्त फरमाया जावें।

प्रार्थी/निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण/गैर निगराकार को जरिये नोटिस सूचित किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से 03 को जारी नोटिस बाद तामील के प्राप्त। अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री गजेन्द्र टांक द्वारा वकालतनाम प्रस्तुत किया। किन्तु अप्रार्थी संख्या 01 व 03 तथा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 के बावजूद सूचना के लगातार नियत पेशी पर अनुपरस्थित रहने से उनके विरूद्ध दिनांक 25.07.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित किया गया तथा ग्राम पंचायत कोठारिया से मूल पट्टा पत्रावली तलब की गयी किन्तु ग्राम पंचायत कोठारिया के पत्रांक ग्रा.पं./कोठ./2020 – 21/192 दिनांक 04.03.2021 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत के देखने रिकार्ड अनुसार पट्टे की मूल पत्रावली उपलब्ध नही हैं।

अधिवक्ता निगराकार की बहस सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी/निगराकार ने अपनी निगरानी याचिका में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीया के आधिपत्य उपयोग उपभोग का आवासीय भूखण्ड मय मकान ग्राम कोठारिया के मोहल्ला नाडे के सामने रंगुडिया बावजी रोड पर स्थित है, उक्त सम्पति राजस्व ग्राम कोठारिया के खसरा संख्या 1254/511 में स्थित है जिसका नाप 60 गुणा 55 फिट है उक्त सम्पति पर प्रार्थिया का वर्षों से आधिपत्य होकर इस पर राज्य सरकार की योजना के अन्तर्गत इन्दिरा आवास योजना के तहत प्रार्थीया को सरकारी अनुदान से मकान बनाने हेतु स्वीकृत हुआ और स्वीकृत अनुदान से प्रार्थीया ने मकान बनाया। वर्ष 2014 में विपक्षीगण अवैध रूप से प्रार्थीया के भूखण्ड के 18 गुणा 60 फिट का भूखण्ड हडपने के आशय से ग्राम पंचायत का कुटरचित मिथ्या अनापति प्रमाण पत्र लगाकर विपक्षी संख्या एक के द्वारा विपक्षी संख्या दो के पक्ष में फर्जी रूप से अवैध व शुन्य विकय पत्र निष्पादित करा पंजीयन कराया।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

इसकी जानकारी होने पर प्रार्थीया ने इनके विरूद्ध पुलिस में भी रिपोर्ट दी परन्तु विपक्षी संख्या एक व दो ने अपने प्रभाव एवं पैसो की ताकत से कार्यवाही नही होने देते तथा अवैध व शुन्य विक्रय पत्र को आधार बना प्रार्थीया की खोदी हुई नीवों को भरने का प्रयास करने लगे। विपक्षी संख्या एक व दो की नाजायज हरकतो के कारण प्रार्थीया ने न्यायालय सिविल न्यायाधीश नाथद्वारा में अपनी सम्पति की सुरक्षार्थ स्थायी निषेधाज्ञा का वाद डाली बनाम लीलादेवी व अन्य मु0 न0 111/2014 ई0 दी0 प्रस्तुत किया जो जैर पेण्डिंग है साथ ही अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो स्वीकार हुआ और आदेश पारित हुआ कि विपक्षी संख्या 1 व 2 प्रार्थीया के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा न पहुंचावे का आदेश दिनांक 18.12.2016 को प्रदान किया। विपक्षी संख्या एक व दो ऐनकेन प्रकारेण प्रार्थीया के भूखण्ड की भूमि को हडपना चाहते है ग्राम पंचायत कोठारिया द्वारा उक्त पटटे के सम्बन्ध में कोई रिकॉर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नही होने की जानकारी दी। विपक्षी संख्या एक व दो ने अवैध व फर्जी रूप से मिलीभगत से अवैध व शुन्य पट्टे बनवाया तथा उक्त अवैध पट्टे के आधार प्रार्थीया की भूमि को हडपना चाहते है, उक्त अवैध पट्टे के आस्तित्व में रहने से प्रार्थीया के हक अधिकारो पर संकट के बादल छाये रहेंगें इस कारण प्रार्थीया यह निगरानी याचिका प्रस्तुत की गई है। तथाकथित पट्टा की फोटो प्रति देखने से निशुल्क आवासीय आवंटन प्रपत्र है, उक्त तथाकथित पट्टे में आवंटन अधिकारी, किस पद हैसियत का अधिकारी है, का अंकन नही है, न ही कोई सील मोहर है। उक्त भुखण्ड कितना फिट लम्बा चौडा है उसका अंकन भी नही है। प्रथम दृष्टया ही उक्त पट्टा फर्जी रूप से बनाया हैं। चम्पालाल जी के गांव कोठारिया में अलग से मकान स्थित है, वह इस तरह के पट्टे की पात्रता के अधिकारी ही नही थे, तथाकथित पट्टा अवैध होकर विधितः शुन्य है। तथाकथित पट्टे की ग्राम पंचायत में जानकारी करने पर इस प्रकार का कोई पट्टा जारी होना या पत्रावली नही होने की जानकारी ग्राम पंचायत ने दी। केवल विपक्षी संख्या 1 व 2 ने प्रार्थी के आधिपत्य की सम्पति को हडपने के आशय से विपक्षी संख्या 3 से फर्जी रूप से तथाकथित पट्टा बनवाया है। तथाकथित पट्टे पर कोई पट्टा नम्बर, पत्रावली नम्बर अंकित नही है। तथाकथित पट्टे की शर्त अनुसार उक्त तथाकथित पट्टे की आवंटित भूमि को हस्तान्तरण का कोई अधिकार नही होने का उल्लेख विपक्षी संख्या एक व दो प्रार्थी की भुमि पर विपक्षी संख्या एक द्वारा अवैध विकय पत्र से भूमि विपक्षी संख्या दो को करना कहता है। पट्टे की शर्त अनुसार भी विपक्षी संख्या एक को विपक्षी संख्या दो को भूमि विक्रय करने का अधिकार नही था, अवैध रूप से विधि विरूद्ध जो विकय पत्र निष्पादित हुए वह अवैध व शुन्य है। अतः निवेदन हैं कि निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत कोठारिया द्वारा जारी पट्टा दिनांक 12.01.1975 को निरस्त फरमाया जावें।

मैंने अधिवक्ता प्रार्थी/निगराकर की बहस पर गहन मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। यह निगरानी याचिका एक विवादित दस्तावेज के विरूद्ध प्रस्तुत हुई हैं। यह विवादित दस्तावेज दिनांक 12.01.19975 को श्री चम्पालाल के पक्ष में जारी किया जाना प्रतीत होता है। यह विवादित दस्तावेज एक फोटोप्रति हैं। जिस पर जारीकर्ता के हस्ताक्षर है किन्तु जारीकर्ता का पद नाम अंकित नही हैं। किसी भी प्रकार की मोहर अथवा किसी कार्यालय की मोहर अंकित नही हैं। यह पट्टा भी अपंजिकृत हैं। इस फोटोप्रति को देखकर यह प्रकट नही होता है कि यह पट्टा किस ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया हैं। ग्राम पंचायत कोठारिया के पत्रांक ग्रा.पं./कोठ./2020 – 21/192 दिनांक 04.03.2021 से यह अवगत कराया गया कि इस पट्टे के संबंध में कोई भी मूल पत्रावली ग्राम पंचायत में उपलब्ध नही हैं। दौराने सुनवाई अप्रार्थीगण बाद सूचना के भी अनुपस्थित रहे हैं तथा विवादित दस्तावेज दिनांक 12.01.1975 के ग्राम पंचायत कोठारिया द्वारा जारी किये जाने की पुष्टि भी इस प्रकरण में नही हुई हैं और इस प्रकरण में दस्तावेज की फोटोप्रति प्रस्तुत की गई हैं जिस पर पंचायत की सील नही हैं। जो कि एक अपुष्ट दस्तावेज हैं। जिसे यदि जारी भी किया गया है तो वह पूर्णतया अविधिक होकर निरस्त योग्य हैं। अतः उपरोक्त विवेचना अर्न्तगत निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत कोठारिया द्वारा जारी पट्टा दिनांक 12.01.1975 को निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत कोठारिया द्वारा जारी पट्टा दिनांक 12.01.1975 को निरस्त किया जाता है।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 06.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद